


MUNICIPAL CORPORATION BHILAI
NIT

66 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र में क्लोरीन सिलेण्डर प्रदाय (रिफिलिंग) कार्य

S.N	Details of item	Unit	Quantity	Rate	Amount
1.	Supply of liquid chlorine in cylinder of 900 kg capacity conformaing to IS: 646-1986 For 12 month (As Required)	Nos	100		

कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई


सहायक अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई


उप अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई
(जलप्रदाय विभाग)
नियम व शर्तें

कार्य का नाम— 66 एम.एल.डी., जलशोधन संयंत्र में क्लोरिन गैस प्रदाय (रिफिलिंग) कार्य ।

1. निविदाकार क्लोरिन गैस निर्माता/अधिकृत एजेंसी एवं पंजीकृत ठेकेदार निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. क्लोरिन गैस सिलेन्डर में गैस की मात्रा 900 kg. से कम नहीं होनी चाहिए।
3. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय करते समय भरे सिलेन्डर को उतारने, खाली सिलेन्डर को वाहन में रखने का दायित्व प्रदायकर्ता एजेंसी का होगा। जिसके लिए पृथक से कोई राशि निगम द्वारा वहन नहीं की जावेगी।
4. क्लोरिन गैस सिलेन्डर उतारते, चढ़ाते समय कोई भी दुर्घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी प्रदायकर्ता एजेंसी की होगी।
5. क्लोरिन सिलेन्डर लिकेज के लिए प्रदायकर्ता एजेंसी जिम्मेदार होगी अतः सिलेन्डर प्रदाय करने के पूर्व इसका परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।
6. क्लोरिन गैस सिलेन्डर आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त होने पर 24 घण्टे के अन्दर क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय करना होगा।
7. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदायकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं नियमों का पालन किया जावे।
8. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय के साथ एजेंसी चालान एवं देयक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
9. निगम की निविदाओं से वंचित ठेकेदार/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. क्लोरिन गैस प्रदाय एजेंसी को क्लोरिन गैस से सुरक्षा के उपाय हेतु जलकार्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाना होगा।
11. निविदाकार समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत निविदा दर से अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा न ही निविदाकार अन्य किसी राशि के भुगतान की मांग कर सकेगा।